कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / SDMC/22423/2015-22/405-406 दिनांक : 12/09/2022

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

MOST URGENT

विषय :– राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के गठन एवं नियमित बैठकों के आयोजन के सम्वन्ध में।

प्रसंग :– आदेश कमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22423 / 2001–02 दिनांक : 28.08.2012, दिनांक : 06.07.2016, 13.07.2016 एवं 25.08.2022

संदर्भ :– क्रमांक : शिविरा–माध्य / मॉनिट / विविध / 49107 / 2022 दिनांक : 08.08.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में लेख है कि राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान राज्य सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के प्रावधानान्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में गठित "विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की संरचना एवं दायित्व निर्धारण सम्बन्धी स्थाई निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अन्तर्गत SMC/SDMC की कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक **प्रत्येक माह अमावस्या** को निर्धारित है।

उक्त के क्रम में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक को निर्देशित किया जाकर आपको भी प्रभावी प्रबोधन हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आज ही अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक से इस बाबत् शपथ पत्र , जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उनके क्षेत्राधिकार में संचालित सभी विद्यालयों में SMC/SDMC का गठन हो गया है तथा वर्तमान सत्र में उनकी नियमानुसार नियमित बैठक का आयोजन किया जा रहा है, प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

गौरतलब है कि न्यायालय प्रकरण के मद्देनजर उक्त कार्य को व्यक्तिशः रुचि लेकर प्राथमिकता के साथ आपके क्षेत्राधिकार के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक से शपथ पत्रों को प्राप्त करते हुए क्षेत्राधिकार के प्रत्येक जिले के किसी तीन विद्यालयों की माह अगस्त / सितम्बर में आयोजित किसी एक SDMC/SMC बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति भी सत्यापित कर उपलब्ध करावे ताकि माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जा सके।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाई जानी सुनिश्चित करें।
संलग्न– उपर्युक्तानुसार।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जिले में SDMC/SMC गठन, पंजीकरण, बैठकों का नियमित आयोजन एवं शालादर्पण पोर्टल पर नियमित प्रविष्टि हेतु प्रभावी प्रबोधन बाबत।
5. समस्त समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।

8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / SDMC/22423/2015-22 /392–393 दिनांक : 25/08/2022

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

MOST URGENT

विषय :– राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के गठन एवं नियमित बैठकों के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22423 / 2001–02 दिनांक : 28.08.2012, दिनांक : 06.07.2016 एवं 13.07.2016

संदर्भ :– क्रमांक : शिविरा–माध्य / मॉनिट / विविध / 49107 / 2022 दिनांक : 08.08.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में लेख है कि राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान राज्य सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के प्रावधानान्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में गठित "विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की संरचना एवं दायित्व निर्धारण सम्बन्धी स्थाई निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अन्तर्गत SMC/SDMC की कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक **प्रत्येक माह अमावस्या** को निर्धारित है।

उक्त के क्रम में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)- माध्यमिक / प्रारम्भिक को निर्देशित किया जाकर आपको भी प्रभावी प्रबोधन हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आज ही अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक से इस बाबत् शपथ पत्र, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उनके क्षेत्राधिकार मे संचालित सभी विद्यालयों में SMC/SDMC का गठन हो गया है तथा वर्तमान सत्र में उनकी नियमानुसार नियमित बैठक का आयोजन किया जा रहा है, प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

गौरतलब है कि न्यायालय प्रकरण के मद्देनजर उक्त कार्य को व्यक्तिशः रूचि लेकर प्राथमिकता के साथ आपके क्षेत्राधिकार के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक से शपथ पत्रों को प्राप्त करते हुए क्षेत्राधिकार के प्रत्येक जिले के किसी तीन विद्यालयों की माह अगस्त / सितम्बर में आयोजित किसी एक SDMC/SMC बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति भी सत्यापित कर उपलब्ध करावे ताकि माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जा सके।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाई जानी सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपर्युक्तानुसार।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जिले में SDMC/SMC गठन, पंजीकरण, बैठकों का नियमित आयोजन एवं शालादर्पण पोर्टल पर नियमित प्रविष्टि हेतु प्रभावी प्रबोधन बाबत।
5. समस्त समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
6. [illegible]
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मॉनिट/विविध/49107/2022 दिनांक : 08.08.2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारम्भिक

MOST URGENT

विषय :– राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के गठन एवं नियमित बैठकों के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22423/2001–02 दिनांक : 28.08.2012, दिनांक : 06.07.2016 एवं 13.07.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में लेख है कि राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान राज्य सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के प्रावधानान्तर्गत पजीकृत संस्था के रूप में गठित "विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की संरचना एवं दायित्व निर्धारण सम्बन्धी स्थाई निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अन्तर्गत SMC/SDMC की कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक **प्रत्येक माह अमावस्या** को निर्धारित है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 15 दिवस की अवधि में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि आपके क्षेत्राधिकार में संचालित सभी विद्यालयों में SMC/SDMC का गठन हो गया है तथा वर्तमान सत्र में उनकी नियमानुसार नियमित बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु अपने जिले के किसी तीन विद्यालयों की माह अगस्त/सितम्बर में आयोजित किसी एक SDMC/SMC बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति सत्यापित कर उपलब्ध करावे ताकि माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जा सके।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाई जानी सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपर्युक्तानुसार।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जिले में SDMC/SMC गठन, पंजीकरण, बैठकों का नियमित आयोजन एवं शालादर्पण पोर्टल पर नियमित प्रविष्टि हेतु प्रभावी प्रबोधन बाबत।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मॉनिटरिंग)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department